

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: [nssceraaj@gmail.com](mailto:nssceraaj@gmail.com) Ph.: 8377917640

क्रमांक: एफ.8(5)उपभोक्ता/एनएसएस/आकाशि/2022/

दिनांक: मई, 2024

प्राचार्य,  
निम्नांकित 25 राजकीय महाविद्यालय  
राजस्थान।

विषय :- राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष से उपभोक्ता जागरूकता हेतु राशि आवंटन बाबत।  
सन्दर्भ :-प्रमुख शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र क्रमांक एफ.89(31)उ.मा.वि./  
उपभोक्ता क्लब/2017 जयपुर दिनांक 08.05.2024.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के क्रम में उपभोक्ता हित में किए जा रहे नवाचार एवं जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों के आयोजनार्थ उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नांकित महाविद्यालयों के उपभोक्ता क्लब को राशि रूपये 20,000/-आवंटित की जानी है:-

1. सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर।
2. राजर्षि महाविद्यालय, अलवर।
3. श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाडा।
4. राजकीय महाविद्यालय, बाडमेर।
5. एम.एस.जे. महाविद्यालय, भरतपुर।
6. एम.एल.वी. राजकीय महाविद्यालय, भीलवाडा।
7. डूंगर राजकीय महाविद्यालय, बीकानेर।
8. महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, चित्तौडगढ।
9. राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरु।
10. श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर।
11. डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
12. राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ।
13. राजकीय महाविद्यालय, जयपुर।
14. एस.बी.के. राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर।
15. राजकीय महाविद्यालय, झालावाड।
16. श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय, झुझुनूं।
17. राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर।
18. राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा।
19. राजकीय महाविद्यालय, नागौर।
20. राजकीय बांगड स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पाली।
21. सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द।
22. शहीद कैप्टन रिपुद्धमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर।
23. एस.के. राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर।
24. राजकीय महाविद्यालय, टोंक।
25. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर।

अतः सन्दर्भित पत्र एवं संलग्नक की छाया प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में चाही गई सूचना अविलम्ब जरिये ई-डाक के विभाग को प्रेषित करें ताकि आपको राशि आवंटित करवायी जा सके।

RajKaj Ref  
7354496



Signature valid

Digitally signed by Pankaj Sen  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.05.21 18:23:59 IST  
Reason: Approved

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 08.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ ।
2. वेब साइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु ।

(पुखराज सेन)  
आयुक्त

RajKaj Ref  
7354496

**Signature valid**

Digitally signed by Pukhraj Sen  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.05.21 18:23:59 IST  
Reason: Approved





राजस्थान सरकार  
उपभोक्ता मामले विभाग

(राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नं० 1800-180-6030 वाट्सएप 72300-86030)  
क्रमांक एफ 89(31)उ०मा०वि०/उपभोक्ता क्लब/2017 जयपुर, दिनांक .2024

आयुक्त,  
कॉलेज शिक्षा,  
ब्लॉक-IV श्री राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल,  
जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

**विषय :-** राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में गठित महाविद्यालय उपभोक्ता क्लबों को राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष से उपभोक्ता जागरूकता हेतु राशि आवंटन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के क्रम में विभाग सतत रूप से प्रयासरत हैं। इसी क्रम में उपभोक्ता हित में किए जा रहे नवाचार के अन्तर्गत चिन्हित महाविद्यालय उपभोक्ता क्लबों को पुनः सक्रिय किये जाने के क्रम में आपके कार्यालय से राज्य के चिन्हित श्रेष्ठ 100 महाविद्यालय में उपभोक्ता क्लबों एवं इनके नोडल अधिकारियों की सूची दिनांक 13.10.2022 को (जरिये ई मेल) विभाग में प्राप्त हुई थी।

राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष एवं कॉरपस फण्ड की बैठक दिनांक 07.03.2024 में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन हेतु उक्त 100 महाविद्यालय उपभोक्ता क्लबों में से उपभोक्ता जागरूकता सम्बन्धी गतिविधियों के आधार पर श्रेष्ठ 25 महाविद्यालय उपभोक्ता क्लबों का चयन कर सूची संलग्न प्रारूप में विभाग को प्रेषित करावें ताकि उपभोक्ता जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों के आयोजनार्थ राशि रूपये 20,000/- प्रति महाविद्यालय उपभोक्ता क्लब आवंटित कराने सम्बन्धी कार्यवाही करवाई जा सके।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(भास्कर ए.सावंत)  
प्रमुख शासन सचिव (उ०मा०)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उपभोक्ता मामले विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग।

RajKaj Ref  
6890442

Document certified by BHASKAR  
SAWANT <ps.energy@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Bhaskar  
Atmaram Sawant  
Designation: Principal Secretary  
To Government  
Date :08-05-2024 05:13:20



राजस्थान सरकार  
उपभोक्ता मामले विभाग

(राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नं० 1800-180-6030 वाट्सएप 72300-86030)

प्रारूप

क्र.सं.	महाविद्यालय उपभोक्ता क्लब का नाम	पता मय सम्पर्क विवरण (दूरभाष/मोबाइल नम्बर, ईमेल आई.डी. इत्यादि)	महाविद्यालय के बैंक खाते/ पी.डी. खाते का विवरण अंग्रेजी में (जिसमें राशि आवंटित की जानी है।)	अन्य विवरण